

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-111)/2019/


दिनांक :

संशोधित आदेश

रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के पत्र क्रमांक : 176 दिनांक 16.08.2018 के द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु पात्र संस्थाओं (मय आवंटित सीट) की पूर्व में भिजवाई गई सूची के कम संख्या 10 पर अंकित अरावली इन्स्टी. ऑफ नर्सिंग, C/o अरावली हॉस्पिटल, 332 अम्बामाता स्कीम, जिला उदयपुर को 30 सीट दर्शाये जाने पर विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक : 1523 दिनांक 23.08.2018 के द्वारा उक्त संस्थान की कुल सीटें 30 दर्शायी गयी थी।

इस सबध में रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के पत्र क्रमांक : आरएनसी/सामान्य/2019/363 दिनांक 27.02.2019 में वर्णितानुसार उक्त संस्थान में पूर्व में आवंटित 30 सीट के स्थान पर 40 सीट पढा जावे।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-111)/2018/158

दिनांक : 15/3/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : 363 दिनांक 27.02.2019 के क्रम में।
3. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैंडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्टी सिनेमा के पास, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैंडरेशन, ई-277 लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, अरावली इन्स्टी. ऑफ नर्सिंग, C/o अरावली हॉस्पिटल, 332 अम्बामाता स्कीम, जिला उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक : AIN/UDR/2018/75 दिनांक 04.12.2018 के क्रम में।
6. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु में अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
7. रक्षित/आदेश पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर